



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251959
CG-DL-E-09022024-251959

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]
No. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच समाप्ति अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) 15/2022

विषय: चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'विटामिन-ए पाल्मीटेट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की समाप्ति।

फा. सं.6/15/2022-डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

- समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 (इसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार पिरामल फार्मा लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक', 'आवेदक कंपनी' या 'पीपीएल' भी कहा गया है) ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पाल्मीटेट" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'संबद्ध वस्तु' भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की

शुरूआत करने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की ताकि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने के पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
5. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत के बाद जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, आवेदक कंपनी तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को भेजी थी और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार विहित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध उनसे किया था।
6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक-एक प्रति दी थी।
7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से उनकी देश के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली को संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ-साथ दूतावास को भी भेजा गया था।
8. जांच शुरूआत अधिसूचना और सूचना के उत्तर में संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों/प्रयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर और कानूनी अनुरोध प्रस्तुत करके प्राधिकारी को उत्तर दिया था।
9. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं थी।
10. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए दिनांक 22 जून, 2023 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी।

ग. आवेदक कंपनी से प्राप्त अनुरोध

11. आवेदक ने दिनांक 17 जनवरी, 2024 के अपनी ई-मेल के माध्यम से याचिका वापस ले ली है और निम्नलिखित कारण बताते हुए जांच समाप्त करने का अनुरोध किया है:

“पीपीएल का इरादा अधिक हाल की अवधि के लिए पाटन और क्षति की पूरी मात्रा के लिए समुचित उपचार की मांग करते हुए नया आवेदन प्रस्तुत करने का है क्योंकि चीन से आयातों की मात्रा काफी अधिक बढ़ गई है और कीमतें लगातार घट रही हैं। अन्य देशों से निर्बाध पाटन की साथ-साथ इसकी वजह से घरेलू उद्योग को संचयी रूप से अत्यधिक क्षति हुई है।”

घ. प्राधिकारी द्वारा जांच

12. आवेदक कंपनी द्वारा किए गए उक्त अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करके किसी जांच को तत्काल समाप्त कर देंगे। यदि 'उन्हें उस पीड़ित घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है जिसके अनुरोध पर जांच शुरू की गई थी'।
13. आवेदक कंपनी द्वारा याचिका वापस लेने और जांच समाप्त करने के उसके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार करना उचित नहीं समझते हैं और एतद्वारा यह जांच समाप्त करते हैं।

ड. निष्कर्ष

14. आवेदक कंपनी अर्थात् पिरामल फार्मा लिमिटेड द्वारा की गई याचिका को वापस लेने के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 14(क) को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण. यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित "विटामिन-ए पाल्मिटेट" के आयातों से संबंधित अधिसूचना फा. सं. 6/15/2022-डीजीटीआर, दिनांक 29 दिसंबर, 2022 के माध्यम से शुरू की गई पाटनरोधी जांच को समाप्त करते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****TERMINATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2024

(Case No. AD (OI) -15/2022)

Subject: Termination of anti-dumping investigation concerning imports of "Vitamin- A Palmitate" originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland-reg.

F. No. 6/15/2022-DGTR.—A. INTRODUCTION

1. As per the Custom Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the 'Act') and the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the 'Rules'), thereof, Piramal Pharma Limited (hereinafter referred to as the 'applicant', the 'applicant company' or 'PPL') had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') on behalf of the domestic industry for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Vitamin- A Palmitate" (hereinafter referred to as the 'Product Under Consideration' or 'subject goods') originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland (hereinafter referred to as 'the subject countries').
2. The Authority, based on *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification F. No. 6/15/2022-DGTR dated 29th December 2022, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
4. The Authority issued a public notice vide Notification F. No. 6/15/2022-DGTR dated 29th December 2022, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.

5. The Authority post-initiation sent a copy of the initiation notification to the embassies of the subject countries in India, the known producers/exporters, the known importers/users, the applicant company as well as the domestic producers of the subject goods in India as per the address made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit as per Rule 6(2) of the Rules.
6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
7. The embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/ producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
8. In response to the initiation notification and intimation, exporters/producers from the subject countries and importers/users responded to the Authority by filling the exporter questionnaire responses and the legal submission.
9. A list of all the interested party was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
10. The Authority held an oral hearing dated 22nd June, 2023 to provide an opportunity to the interested parties to present the relevant information orally in accordance with the Rule 6(6) of the Rules.

C. REQUEST RECEIVED FROM THE APPLICANT COMPANY

11. The applicant, through an email dated 17th January 2024, has withdrawn its petition and has requested for termination of the investigation citing the following reasons:

“PPL intends to file a fresh application seeking an appropriate remedy to the full extent of dumping and injury for a more recent period as the volumes from China have grown significantly and prices continue to drop. This, in combination with relentless dumping from other countries, has cumulatively injured the Domestic Industry more egregiously.”

D. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

12. The said request made by the applicant company, has been examined. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules provides that the Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if *“it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.”*
13. In view of the withdrawal of the petition by the applicant company and its request for termination of the investigation, the Authority does not consider it appropriate to deal with the various issues raised by several interested parties, and hereby terminates this investigation.

E. CONCLUSION

14. In view of the aforesaid withdrawal of the petition made by the applicant company, i.e., Piramal Pharma Limited and Rule 14(a) of the Anti-dumping Rules, 1995 the Authority hereby terminates the anti-dumping investigation initiated vide Notification F. No. 6/15/2022-DGTR dated 29th December 2022 concerning the imports of “Vitamin- A Palmitate” originating in or exported from China PR, the European Union and Switzerland.

ANANT SWARUP, Designated Authority